सामाजिक समझौते का सिद्धान्त

- लीकॉक के अनुसार, "राज्य व्यक्तियों के स्वार्थों द्वारा चालित एक आदान-प्रदान का परिणाम था जिसमें व्यक्तियों ने उत्तरदायित्वों के बदले कुछ विशेषाधिकार प्राप्त किये।"
- महाभारत के 'शान्तिपर्व' तथा कौटिल्य की पुस्तक 'अर्थशास्त्र' में इस स्थिति का वर्णन मिलता है कि अराजकता की स्थिति से त्रस्त होकर मनुष्यों ने परस्पर समझौते द्वारा राज्य की स्थापना की।
- यूनान में सोफिस्ट वर्ग ने सर्वप्रथम इस विचार का प्रतिपादन किया। इपीक्यूरियन विचारधारा वाले वर्ग तथा रोमन विचारकों द्वारा भी इसका समर्थन किया गया।
- सर्वप्रथम रिचार्ड हूकर ने वैज्ञानिक रूप में समझौते की तर्कपूर्ण व्याख्या प्रस्तुत की।
- इस सिद्धान्त का वैज्ञानिक और विधिवत प्रतिपादन संविदावादी विचारक हॉब्स, लॉक तथा रूसो द्वारा किया गया है।
- हॉब्स ने सन् 1651 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'लेवायथन' में समझौता सिद्धान्त का प्रतिपादन कर निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया।
- हॉब्स के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी नहीं है। वह एक स्वार्थी, अहंकारी तथा आत्माभिमानी प्राणी है। वह सदैव शक्ति से ही प्रेम करता है और शक्ति प्राप्त करने का निरन्तर प्रयास करता रहता है।
- हॉब्स के अनुसार "प्राकृतिक अवस्था में न कोई व्यवसाय था, न कोई संस्कृति थी

कोई विद्या नहीं थी, कोई भवन निर्माण कला न थी और न कोई समाज था। मानव जीवन असत्य, दीन मलिन, पाशविक तथा अल्पकालिक था।

- प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों का जीवन तथा उनकी सम्पत्ति सुरक्षित नहीं थी। मनुष्यों ने अपने जीवन तथा सम्पत्ति की सुरक्षा करके अपने दुखी जीवन से छुटकारा पाने के लिए परस्पर एक समझौता किया और एक राजनीतिक समाज का निर्माण किया।
- हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था का अन्त करने के लिए सभी व्यक्तियों ने मिलकर समझौता किया। हॉब्स के शब्दों में - "मैं इस व्यक्ति अथवा सभा को अपने अधिकार और शक्ति का समर्पण करता हूँ जिससे कि वह हमपर शासन करे, परन्तु इसी शर्त पर कि आप भी अपने अधिकार और शक्ति का समर्पण इसे इसी रूप में करें और इसकी आज्ञाओं को मानें।

Pol-sc (Hons)
Part-I
Paper-I.

Dr. Rama Kant Pandey
S.R.A.P. College Bara
Chakiya

Scanned By Scanner Go